न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 52/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/304

1. लवप्रीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह नाबालिग जरिए कुरतीवली माता सुखजीत कौर पत्नी सतनाम सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 आरटीएम (उदासर) हाल वार्ड नं. 5 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़
2. सिमरणदीपकौर पुत्री सतनाम सिंह नाबालिग जरिए कुरतीवली माता सुखजीत कौर पत्नी सतनाम सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 आरटीएम (उदासर) हाल वार्ड नं. 5 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 यूडीएम ढाणी तहसील अनूपगढ़
2. बलजिन्द्र सिंह पुत्र मखन सिंह जाति रायसिख निवासी चक 4 केएसपी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. सतपाल सिंह पुत्र कुशाल सिंह जाति रायसिख निवासी चक 28ए तहसील अनूपगढ
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री राकेश गोदारा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री जसवीर सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 से 3
3. राजपैरोकार, प्रत्यर्थी सं. 4

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 12/11/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपील प्रकरण पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ (प्र.सं. 69/23) से क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।
2. अपीलार्थी के द्वारा यह अपील तहसीलदार अनूपगढ के द्वारा स्वीकृत नामान्तरण सं. 234 आदेश दिनांक 13.05.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा अपीलाधीन भूमि चक 5 आरटीएम तहसील अनूपगढ़ का मु.नं. 37 प.नं. 260/424 का कि.नं. 4, 5/1, 6/1, 7 ता 14, 15/1 की कुल 2.910है. भूमि का बेचान के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 से प्रत्यर्थी सं. 2 व 3 के नाम भूमि दर्ज की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 3 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधित मूल अभिलेख तलब किया गया। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।
3. अधिवक्ता अपीलार्थी अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि से संबंधित राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के न्यायालय में तथा अपील प्रकरण श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन था

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

जिसमें मा. न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी पारित किया गया था। पंजीबद्ध बैयनामा की पुश्त पर भी नोट अंकित है कि बैयनामा अपील के निर्णय के अध्यधीन रहेगा। परन्तु फिर भी रेस्पो. सं. 1 ने रेस्पो. सं. 2 व 3 के पक्ष में बैयनामा पंजीबद्ध करवा लिया और रेस्पों. सं. 4 ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रकरण सक्षम न्यायालयों में विचाराधीन होने के बावजूद भी इंतकाल स्वीकृत कर दिया। अपीलाधीन भूमि अपीलार्थी की पैतृक भूमि होने से भूमि में उसका हक एवं अधिकार निहित है, प्रत्यर्थी सं. 1 को बैयनामा करने का कोई अधिकार नहीं था। इस संबंध में मा. राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन आदेश प्रभावी है। अपील स्वीकार कर आलौच्य आदेश विधि विपरीत होने के कारण खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 ने अपनी बहस में कथन किया अपीलाधीन भूमि से संबंधित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ में प्रकरण में पारित स्थगन आदेश खारिज किया गया जिसकी अपील श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत करने पर मा. राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा भी स्थगन आदेश खारिज किया जा चुका है। प्रत्यर्थीगण सं. 2 व 3 के पक्ष में पंजीबद्ध बैयनामा के आधार पर इंतकाल स्वीकृत किया गया है, उस समय कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है, अपील अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाधीन भूमि के संबंध में पारित आलौच्य आदेश इंतकाल पंजीबद्ध बैयनामा के आधार पर पारित किया गया। जिससे अपीलाधीन भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रत्यर्थी सं. 1 के स्थान पर प्रत्यर्थी सं. 2 व 3 के नाम से जरिए बैयनामा दर्ज की गयी है। प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा अपीलाधीन भूमि उनकी पैतृक सम्पत्ति का कथन करते हुए प्रकरण में अपीलाधीन भूमि पर स्थगन आदेश प्रभावी होने और बैयनामा की पुश्त पर नोट अंकित होने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गयी है। न्यायालय को इस प्रकरण में मात्र आलौच्य इंतकाल आदेश की वैद्यता की जांच करनी है न कि अपीलार्थीगण के अपीलाधीन भूमि में अधिकारों की घोषणा करनी है।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

6. आलौच्य आदेश नामान्तरकरण सं. 234 दिनांक 12.05.2023 को दर्ज कर दिनांक 13.05.2023 को स्वीकृत हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेख बैयनामा सुरेन्द्र सिंह बहस बलजिन्द्र सिंह एवं सुरेन्द्र सिंह बहक सतपाल सिंह की पुश्त पर उप पंजीयक द्वारा पंजीयन नियम 39 का नोट अंकित किया गया हैं कि "निष्पादनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अपील संख्या 8/2022 के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा"। अपीलार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय से पारित किसी ऐसे आदेश/निर्णय की प्रति प्रस्तुत नहीं की है जिसके द्वारा उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज बैयनामा को निरस्त कर दिया गया हो अथवा उक्त दस्तावेजों के निष्पादन अथवा क्रियान्विति पर स्थगन आदेश पारित किया गया हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

प्रस्तुत अभिलेख अनुसार अपीलार्थीगण द्वारा मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा जारी स्थगन आदेश का कथन किया गया है वह स्थगन आदेश न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.05.2023 को निष्प्रभावी कर दिया घोषित किया गया है। आलौच्य आदेश दिनांक 13.05.2023 को पारित किया गया है, पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि दिनांक 13.05.2023 को अपीलाधीन भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश प्रभावी हो। ऐसी स्थिति में आलौच्य आदेश विधिसम्मत होने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है। अपील खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 12/11/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़ I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ (राज.)